पीड़ित के सूचना के अधिकार की अनिवार्य सूचना यौन उत्पीड़न के साक्ष्य परीक्षण के संबंध में*

आपने अपने मामले में एकत्रित किए गए यौन उत्पीड़न के साक्ष्यों के परीक्षण के लिए सहमति दे दी है।

आपके अनुरोध पर, इस कानून प्रवर्तन एजेंसी को साक्ष्य के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी। आप अपनी ओर से यह जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकते हैं।

<u>आपको निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है:</u>

1. जिस तारीख को यौन उत्पीड़न के साक्ष्य इलिनॉय राज्य पुलिस अपराध प्रयोगशाला या इस एजेंसी द्वारा नामित किसी अन्य उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजे गए थे। यदि आप इस जानकारी का अनुरोध करते हैं, तो यह जानकारी आपको इस कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा साक्ष्य को प्रयोगशाला में स्थानांतरित करने के सात (7) दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

2. प्रयोगशाला द्वारा इस एजेंसी को प्रदान किए गए परीक्षण परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
   - डीएनए परीक्षण के परिणाम, और
   - क्या मूत्र या रक्त के नमूने में कोई दवा पाई गई थी और पाई गई दवाओं के बारे में जानकारी।

   यदि आप इस जानकारी का अनुरोध करते हैं, तो प्रयोगशाला से इस कानून प्रवर्तन एजेंसी को परिणाम प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर आपको यह जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। ।

<u>सूचना का अनुरोध करना</u>

आप इस जानकारी के लिए अभी अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं या बाद में नीचे दिए गए पते या फोन नंबर पर इस कानून प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।

* यह प्रपत्र कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उस पीड़ित, जिसने अस्पताल में साक्ष्य की जांच के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, या तो अस्पताल में या जांच अधिकारी के अनुवर्ती साक्षात्कार के दौरान सहमति दर्ज की हो, को प्रदान किया जाना चाहिए। यह प्रपत्र 725 ILCS 203/35(c) के अनुसार उस पीड़ित को भी प्रदान किया जाना चाहिए जो कानून प्रवर्तन एजेंसी में या बलात्कार संकट अधिवक्ता की सहायता से यौन उत्पीड़न साक्ष्य का परीक्षण करने के लिए सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करती है।

कानून प्रवर्तन एजेंसी	
पता	
फ़ोन नंबर	ईमेल (यदि उपलब्ध हो)
रिपोर्ट संख्या	

आपको या आपके द्वारा नामित व्यक्ति को कानून प्रवर्तन एजेंसी को उस व्यक्ति का नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस बताना होगा जिसे जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और उस जानकारी में किसी भी बदलाव की जानकारी भी देनी होगी।

* यह प्रपत्र कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उस पीड़ित, जिसने अस्पताल में साक्ष्य की जांच के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, या तो अस्पताल में या जांच अधिकारी के अनुवर्ती साक्षात्कार के दौरान सहमति दर्ज की हो, को प्रदान किया जाना चाहिए। यह प्रपत्र 725 ILCS 203/35(c) के अनुसार उस पीड़ित को भी प्रदान किया जाना चाहिए जो कानून प्रवर्तन एजेंसी में या बलात्कार संकट अधिवक्ता की सहायता से यौन उत्पीड़न साक्ष्य का परीक्षण करने के लिए सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करती है।